

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का० आ० सं०-08/ज०सं०(नि०) राँची-06/2011/राँची, दिनांक :

आदेश

गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अमरपुर पंचायत भवन एवं खरनी पंचायत भवन के निर्माण में बरती गई अनियमितता के आरोप के लिए श्री दिनेश प्रसाद सिंह, (ID - J8824) तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, धनबाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2207 दिनांक-20.04.2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री दिनेश प्रसाद सिंह दिनांक- 31.01.2018 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतः श्री सिंह के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को एतद् द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) में सम्पत्तिवर्तित किया जाता है। विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2207 दिनांक- 20.04.2016 की अन्य कंडिकायें एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :राँची/दिनांक

प्रतिलिपि :- श्री ददन चौबे (ज्ञा०प्र०से०) से०नि०, टी०ए० डिविजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :1028.....राँची/दिनांक13/02/19.....

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, धनबाद/उप सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव